वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 58/2016/1823/52-3-16-बजट(12)/2015 ए

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 25□□□, 2016

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अग्रिम धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-944/□0□0□0□□0/□□0□□0कम्प्यूटर/2015 दिनांक 13.6.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रू0 02,03,50,000/- को दृष्टिगत रखते हुये 203 मदरसों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना हेतु एक-एक कुर्सी व मेज सहित इन्ट्रीगेटेड कम्प्यूटर प्रोजेक्टर की आपूर्ति के लिये रू0 99,979/- की दर अनुमोदित करते हुये उक्त सामग्री उ0प्र0 डेवलेपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 से क्रय किये जाने हेतु रू0 02,02,58,791/- की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति □□□□□□ □0-1149/52-3-2016- □□□(12)/2015(□), दिनांक 10.05.2016 द्वारा निर्गत की □□□ □□

2. □□□□□□ □0-□□0□0 33/52-3-16-□□□(10)/2016 टी0□□0-1, दिनांक 10.5.2016 □□□ □□□□□□ □0-1719/52-3-16-□□□(16)/2015टी0□□0, दिनांक 7.6.2016 द्वारा कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु कुल धनराशि रू0 02,42,50,000/- स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर पूर्व ही रखी जा चुकी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 डेवलेपमेन्ट सिस्टम्म कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रोफार्मा बिल के आधार पर रू0 02,02,58,791/- (रू0 दो करोड़ दो लाख अठठ्ावन हजार सात सौ इक्यानवें मात्र) की अग्रिम धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु वित्त(लेख□) □□0-1 द्वारा जारी शासनादेश सं0-ए-1-2774/□□-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 □□□□0-□-1-235/□□- 2011-15-1(1)/69,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- केवल उन्हीं मदरसों में सामग्री की आपूर्ति की जायेगी जिनके लिये भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- क्रय की ज ने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, □□□□ □□ □□□□

3- □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार से अधिक न हो।

4- मदरसों में सामग्री की आपूर्ति हेतु संबंधित फर्म को अलग से कोई भाड़ा इत्यादि देय नहीं होगा।

5- कार्यदायी संस्था को अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर धनराशि प्राप्त होने के दिनांक से वास्तविक व्यय होने के दिनांक तक जो भी ब्याज अर्जित किया जायेगा उसे राजकोष में जमा किया जायेगा तथा राजकोष में जमा करके शासन □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□

6- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को अहरित करेगा, वही उसके उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए संबंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा।

7- फर्म को अग्रिम धनराशि की भुगतान की तिथि से फर्म द्वारा एक माह के अन्दर मदरसों की सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जायेगी।

8- सामग्री के कुल मूल्य के सापेक्ष □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ धनराशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-□□0□-1-273/□□-2016, दिनांक 18 □□□□, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□□

संख्या-1823/52-3-16 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

2- □□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- वरिष्ठ आडिट आफि□□ (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, इ□□□□□□

4- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (लेखा□) □□□□□-1□

6- □□□□□, □0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर □□□, □□□□□

7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
□□ □□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in